उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1952)

THE U.P. ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1952

(U.P. Act No. XXXIII of 1952)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1952]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1957

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1959

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1971

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1972

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1975[2]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1982

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1985

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1987

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1999

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 16 अक्टूबर, 1952 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 1 दिसम्बर, 1952 ई0 की स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशयी सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 4 दिसम्बर, 1952 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश में एनर्जी (विद्युत शक्ति) के उपभोग (कंजम्पशन) पर ड्यूटी (शुल्क) लगाने के लिये।

अधिनियम

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एनर्जी (विद्युत शक्ति) के उपभोग पर ड्यूटी (शुल्क) लगाई जाय ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रचार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह उक्त दिनांक[3] से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार (स्टेट गवर्नमेंट) सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे ।

परिभाषाएं

2–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में ––

(क) [4][नियुक्त अधिकारी] का तात्पर्य ––

(1) उस एलेक्ट्रिसिटी अण्डरटेकिंग (विद्युत व्यवसाय) की दशा में जो ऐसी एनर्जी (विद्युत् शक्ति) [5][को सम्भरित करने] के कार्य में प्रवृत्त हो, जिसका स्वामी राज्य सरकार हो या जिसका प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी (अथारिटी) से है जिसे इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार नियुक्त करे, तथा

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 1 सितम्बर, 1952 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

2. अधिनियम सं0 8, 1975 द्वारा किए गये संशोधन 12 अक्टूबर, 1974 से प्रवृत्त हुए ।

3. यह अधिनियम दिनांक 3 जनवरी, 1953 के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 4389–EL/XXIII––319–ELD––52 के द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 1953 से लागू हुआ ।

4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1999 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1999 की धारा 2 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उस एलेक्ट्रिसिटी अण्डरटेकिंग की दशा में जो ऐसी एनर्जी की पूर्ति करने (सप्लाई) के कार्य में प्रवृत्त हो जिसका स्वामी केन्द्रीय सरकार या बोर्ड हो या जिसका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा किया जाता हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी (अथारिटी) से है, जिसे इस संबंध में राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड की सहमति से, जैसी भी दशा हो, नियुक्त करे ।

स्पष्टीकरण—— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये सरकार का वह विभाग जो एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति करने (सप्लाई) में प्रवृत्त हो, उक्त प्रकार का एलेक्ट्रिसिटी अण्डरटेकिंग (विद्युत व्यवसाय) है ।

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948 के अध्याय 3 (Chapter III) के अन्तर्गत संघटित बोर्ड से है ; **1948 की ऐक्ट संख्या 54**

(ग) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1897 में किया गया है ; **1897 की ऐक्ट संख्या 10**

(घ) "उपभोक्ता (कंज्यूमर)" का तात्पर्य लाइसेंसों से भिन्न उस व्यक्ति से है जिसे निम्नलिखित द्वारा विद्युत शक्ति (विद्युत शक्ति) दी जाती (सप्लाई) हो :——

(1) कोई लाइसेंसी ;

(2) कोई बोर्ड ; अथवा

(3) राज्य सरकार (स्टेट गवर्नमेंट) या केन्द्रीय सरकार (सेंट्रल गवर्नमेंट) ;

(ङ) "एनर्जी" का तात्पर्य एलेक्ट्रिसिटी एनर्जी (विद्युत शक्ति) से है ;

(च) "लाइसेंसी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे एनर्जी (विद्युत शक्ति) [1][के सम्भरण] का लाइसेंस इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 के भाग 2 के अधीन प्राप्त हो तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे उक्त ऐक्ट की धारा 28 के अधीन इस संबंध में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो ; **1910 की ऐक्ट संख्या 9**

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(ज) "लगाई गई दर" के अन्तर्गत किसी मीटर अथवा सर्विस लाइन का किराया नहीं है;

किन्तु निम्नलिखित उसके अन्तर्गत हैं –

(1) जब किसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान करने के लिये छूट दी जाय तो इस प्रकार दी गयी छूट,

(2) [2][X X X]

(3) टू पार्ट टैरिफ की दशा में निश्चित मूल्य (फिक्स्ड चार्जेज) तथा इकाई मूल्य (यूनिट चार्ज) भी ;

(4) उस प्रकार [के सम्भरण][3] की दशा में जहां मीटर न लगा हो, समय–समय पर उसके लिये लगाया गया मूल्य (Periodical charge made therefor) ; और

(5) दरों पर कोई अधिभार (सरचार्ज) जो लाइसेंसी, बोर्ड, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया हो ।

1 उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1999 की धारा 2 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2 उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1971 की धारा 2 द्वारा निकाला गया है ।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26, 1999 की धारा 2 (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण—"इकाई मूल्य (यूनिट चार्ज)" का तात्पर्य खण्ड (3) में वास्तव में उपयुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) के लिये दिये जाने वाले मूल्य से है ।

(झ) "राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ञ) उन शब्दों तथा पदावलियों का, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गयी है किन्तु जो इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगा जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है । **1910 की ऐक्ट संख्या 9**

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का लगाया जाना

[1][**3**—(1) आगे दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) किसी लाइसेंसी, बोर्ड, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गयी एनर्जी; या

(ख) किसी लाइसेंसों या बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक आवासिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने वाले भू—गृहादि में, अथवा किसी अन्य भू—गृहादि में, अपने वर्क्स के निर्माण, बनाये रखने या चलाने से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयुक्त एनर्जी; या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत जन्न के अपने स्त्रोत से उपयुक्त एनर्जी, पर एक ड्यूटी (जिसे आगे "एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी" कहा गया है) लगायी जायगी और जिसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा और जो ऐसी दर या दरों पर निर्धारित की जायगी जिसे राज्य सरकार समय—समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और ऐसी दर या तो चार्ज की दर के निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में या प्रति यूनिट निर्दिष्ट धनराशि के रूप में निश्चित की जा सकती है :

[2][प्रतिबन्ध यह है कि 1 अक्टूबर, 1984 के पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1985 के पूर्व जारी की गयी ऐसी अधिसूचना को ऐसे पूर्ववर्ती दिनांक को या से जो 1 अक्टूबर, 1984 के पूर्व न हो प्रभावी बनाया जा सकता है।]

(2) उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के संबंध में, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज की दर के [3][पचास प्रतिशत] से अधिक न होगी :

[4][किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वन पार्ट टैरिफ की दशा में जहां कि भारित दर उपभोग के यूनिट पर आधारित हों वहां एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रति यूनिट एक पैसे से कम या प्रति यूनिट [5][नौ पैसे] से अधिक न होगी।]

स्पष्टीकरण —— उपर्युक्त एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की संगणना करने के प्रयोजनों के लिये, लाइसेंसो या बोर्ड द्वारा उपयुक्त अथवा उसके या अपने भागीदारों, निदेशकों, सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर संभरित एनर्जी, यथास्थिति, लाइसेंसों या बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को, उसी श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं के संबंध में लागू दरों पर बेची गयी एनर्जी समझी जायगी ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ग) के संबंध में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रति यूनिट एक पैसे से कम या छः पैसे से अधिक न होगी ।

(4) राज्य सरकार, लोक हित में, किसी क्षेत्र में एनर्जी के सम्भरण के लिये वर्तमान मूल्यों को, किसी संयंत्र की विद्युत जन्न क्षमता को औद्योगिक उत्पादन की सामान्यतया

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2,, 1971 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11, 1985 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया है ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 13, 1987 की धारा 2(i) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8, 1975 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 13, 1987 की धारा 2(ii) द्वारा प्रतिस्थापित।

अथवा उसके किसी निर्दिष्ट वर्ग को बढ़ाने की आवश्यकता को, और किसी अन्य सुसंगत बात को ध्यान में रखते हुए, या तो एनर्जी के विभिन्न वर्गों के उपभोग के संबंध में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की विभिन्न दरें निश्चित कर सकती है अथवा उसका भुगतान करने से कोई भी छूट दे सकती है।

(5) निम्नलिखित पर कोई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगायी जायगी–

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये उस सरकार को बेची गयी एनर्जी ; या

(ख) [1][X X X X];

(ग) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त अथवा किसी रेलवे के निमार्ण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिये उस सरकार को बेची गयी एनर्जी ;

(घ) किसी कृषक (cultivator) द्वारा ऐसे कृषि कार्यो (agricultural purposes) में जो उसके खेतों पर या उनके निकट किये जाये तथा सिचाई के लिये पानी को पम्प द्वारा उठाना, उन खेतों की उपज का कुचलना या पेरना, पीसना या उपभोग के लिये अन्य किया करना (crushing, milling and treating) या चारा काटना।][2];

[3][(ङ) जनता सर्विस कनेक्शन योजना के अधीन किये गये सम्भरण पर रोशनी के लिए उपभुक्त एनर्जी ।

स्पष्टीकरण–खण्ड (ङ) के प्रयोजनों के लिये "जनता सर्विस कनेक्शन योजना" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में हरिजनों, भूमिहीन श्रमिकों (जिनके पास एक एकड़ से अधिक भूमि न हो), सशस्त्र बल के सदस्यों (चाहे सेवारत हों या सेवा निवृत्त हों), वृद्ध विधवाओं और अन्य निर्बल वर्गो को एनर्जी के सम्भरण के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अनुमोदित योजना से है।]

3–क–– [4][X X X X]

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और उसके ब्याज का भुगतान

[5]**[4**–(1) एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, राज्य सरकार को निम्नलिखित के द्वारा दी जायगी :––

(क) जब एनर्जी लाइसेंसों द्वारा सम्भरित या उपयुक्त की जाय तो लाइसेंसी द्वारा ;

(ख) जब एनर्जी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्भरित की जाय अथवा बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपयुक्त की जाय, तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा ; और

(ग) जब एनर्जी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ही विद्युत जनन स्त्रोत से उपमुक्त की जाय, तो ऐसी एनर्जी जनित करने वाले व्यक्ति द्वारा ।

(2) यदि उपर्युक्त के अनुसार नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि का भुगतान न किया जाय तो, यथास्थिति, लाइसेंसी, बोर्ड या उपधारा (1)]

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11, 1985 की धारा 2(ग) द्वारा निकाला गया है ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1971 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1982 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1971 की धारा 4 द्वारा निकाला गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1971 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][के खण्ड (ग) में उल्लिखित व्यक्ति, उस एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि पर जिसका भुगतान न किया गया हो, अट्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, तब तक ब्याज का देनदार होगा जब तक कि उसका भुगतान न कर दिया जाय।]

उपभोक्ताओं से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति

4–क–(1) किसी लाइसेंसी, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा किसी उपभोक्ता को सम्भरित एनर्जी पर धारा 3 के अधीन देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि यथास्थिति लाइसेंसों या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उपभोक्ता से वसूल की जा सकती है ।

(2) उपभोक्ता से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि वसूल करने के उद्देश्य से, यथास्थिति, लाइसेंसी या नियुक्त प्राधिकारी, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेंसी को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है मानों कि उक्त ड्यूटी ऐसे उपभोक्ता को सम्भरित एनर्जी के संबंध में चार्ज अथवा देय धनराशि हो ।

ऐक्ट संख्या 9, 1910

कतिपय दशाओं में दण्ड शुल्क का भुगतान किया जायगा

4–ख–(1) यदि तदर्थ नियत किसी प्राधिकारी की राय में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिये देनदार लाइसेंन्सों, बोर्ड या अन्य व्यक्ति ड्यूटी देने से छलपूर्वक बचता है अथवा बचने का प्रयास करता है, चाहे वह ऐसा मिथ्या अभिलेख रखकर, मिथ्या विवरणियों को प्रस्तुत करके, सम्भरित या उपयुक्त एनर्जी का छिपाकर, अथवा किसी अन्य उपाय से करता हो, तो, यथास्थिति, लाइसेन्सी, बोर्ड या अन्य व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, उक्त ड्यूटी के अतिरिक्त दन्ड के रूप में ऐसी ड्यूटी की, जिसे छलपूर्वक बचाया गया हो अथवा जिसे बचाने का प्रयास किया गया हो, धनराशि के चार गुने से अनधिक ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो उक्त प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्सी, बोर्ड या ऐसे अन्य व्यक्ति की सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही न की जायेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसा शुल्क देने पर, जो नियत किये जायें, की जायगी ।

(3) अपीलीय प्राधिकारी उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, पुष्टि कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है अथवा उसमें परिष्कार कर सकता है, और अपील का निस्तारण होने तक आदेश का कार्यान्वित किया जाना पूर्णतः या अंशतः और ऐसी शर्तो पर जो वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।][1]

अभिलेख तथा नक्शे

5–(1) यदि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा ऐसा निर्देश करे, तो लाइसेंन्सी अथवा नियुक्त प्राधिकारी [2][अथवा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिये देनदार अन्य व्यक्ति] ऐसे अभिलेख ऐसी रीति तथा ऐसे आकार में रखेगा, जो नियत किये जाये और जिनमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :––

(क)[3][पारेषण या [4][सम्भरण] के लिये] उत्पन्न की गयी अथवा प्राप्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) की इकाइयां (यूनिट्स) ;

(ख) उपभोक्ता को दी गयी एनर्जी (विद्युत शक्ति) की इकाइयां (यूनिट्स) अथवा उसके द्वारा उपयुक्त इकाइयां ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1971 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1971 की धारा 6(1)(क) द्वारा बढ़ाया गया।
3 उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1971 की धारा 6(ख) द्वारा बढ़ाया गया है ।
4 उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1999 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1] [(ग) प्रत्येक श्रेणी के उपभोग पर अलग–अलग देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि और धारा 4–क के अधीन वसूल की गयी धनराशि।]

[2][(ग–क) धारा 4 के अधीन देय ब्याज की धनराशि, यदि कोई हो, और धारा 4–ख के अधीन अवधारित दण्ड शुल्क की धनराशि, यदि कोई हो" ;]

(घ) अन्य ऐसे ब्यौरे जो नियत किये जायें ।

(2) [3][प्रत्येक व्यक्ति] जिसे उपधारा (1) के अधीन अभिलेख रखने का निर्देश किया गया हो, ऐसे नक्शे, ऐसे आकार और रीति में [4][ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी अवधि के भीतर] प्रस्तुत करेगा जो नियत किये जाय ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) के प्रयोजनों के लिये एनर्जी (विद्युत शक्ति) की मात्रा उस रीति से आंकी जायगी जो नियत की जाय ।

निरीक्षणाधिकारी

6–(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा धारा 5 के अधीन रक्खे अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये, Inspecting Officer निरीक्षणाधिकारी नियुक्त कर सकती है ।

(2) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये निरीक्षणाधिकारी ऐसे कार्य करेंगे और ऐसे अधिकारी को उपयोग में लायेंगे जिन्हें समय–समय पर निश्चत किया जाय ।

1860 की ऐक्ट संख्या 45

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षणाधिकारी इंडियन पीनल कोड, 1860, की धारा 21 के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट (जन सेवक) समझा जायगा ।

उपभोक्ताओं से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति

[5]**[7**–(1) यदि धारा 3, या धारा 4, या धारा 4–ख के अधीन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या ब्याज अथवा दण्ड शुल्क के मुद्दे देय कोई धनराशि नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को अदा न कर दी गयी हो तो वह मालगुजारी की बकाया के रूप में निम्नलिखित से वसूल की जा सकेगी :––

(क) लाइसेन्सी द्वारा संभारित या उपयुक्त एनर्जी की दशा में –– लाइसेंन्सी से ;

(ख) बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपयुक्त एनर्जी की दशा में –– बोर्ड से ;

(ग) एनर्जी जनन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयुक्त एनर्जी की दशा में –– उस व्यक्ति से जो इस अधिनियम के अधीन उक्त ड्यूटी का देनदार हो ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार ––

(क) किसी लाइसेन्सी या बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रकार से देय किसी धनराशि की दशा में उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनराशि मे से काट सकती है जो राज्य सरकार द्वारा लाइसेन्सी या बोर्ड को देय हो, या

(ख) किसी लाइसेन्सी द्वारा उपर्युक्त प्रकार से देय धनराशि की दशा में, बोर्ड से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनराशि में से काट, ले जो]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1971 की धारा 6 (1) (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपर्युक्त की धारा 6 (1) (ध) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 6 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उपर्युक्त की धारा 6 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उसके द्वारा लाइसेन्सी को देय हो और इस प्रकार काटी गयी धनराशि राज्य सरकार को दे दे।][1]

8–(1)[2] यदि कोई व्यक्ति —— **दण्ड**

(क) जिसे धारा 5 के अनुसार अभिलेख रखना तथा नक्शे प्रस्तुत करना आवश्यक हो, उन्हें नियत रीति से अथवा नियत आकार में रखने में अथवा प्रस्तुत करने में असफल रहता है ; अथवा

(ख) धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्त किसी निरीक्षणाधिकारी के इस अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत अधिकार प्रयोग तथा कर्तव्य पालन में जानबूझकर बाधा डालता है ; अथवा

(ग) किसी नियम का उल्लंघन करता है ,

तो वह किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अभिशस्त होने पर (on conviction) अर्थ दण्ड का भागी होगा जो दो सौ रूपये से अधिक न होगा ।

[(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 में उल्लिखित कोई ऐसा अभिलेख रखता है या कोई ऐसा नक्शा प्रस्तुत करता है, जिसके संबंध में उसे यह जानकारी हो या यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किसी सारवान विवरण में मिथ्या है, अथवा सत्य नहीं है, तो वह अर्थ दण्ड का भागी होगा जो एक हजार रूपये से अधिक न होगा ।]

[3] **[8–क––** कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक न करेगा, जब तक कि किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो नियत किया जाय, परिवाद न किया जाय । **अपराध संज्ञान**

8–ख–– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी और उसके साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति भी, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी हो, और उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने का दोषी समझा जायगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा : **कम्पनियों द्वारा अपराध**

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का भागी न होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी, कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज और ट्रेजरार्स, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौन अनुमति से हुआ है, अथवा यह कि अपराध उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह मैनेजिंग एजेन्ट, सेकेटरी, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण–– इस धारा के प्रयोजनों के लिये –]

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1971 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा पुनः संख्यांकित कर उपधारा (2) का बढ़ाया जाना।
3. उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।

[(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के किसी भागीदार से है ।

सद्भावना से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

8–ग–– इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।][1]

नियम बनाने का अधिकार

9–[2][X X X X]

[3]**[10––** (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है ––

(क) रीति जिसके अनुसार तथा अवधि जिसके भीतर धारा 4 के अधीन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या उसके ब्याज का भूगतान राज्य सरकार को किया जायगा ;

(ख) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख रखे जायेंगे और विवरण जो उनमें दिये जायेंगे ।

(ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार, अवधि जिसके भीतर, और आधिकारी जिसे, धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नक्शे प्रस्तुत किये जायेंगे ;

(घ) रीति जिसके अनुसार धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिये एनर्जी की इकाइयां सुनिश्चित की जायेंगी ;

(ङ) कर्तव्य जिनका पालन और अधिकार जिनका प्रयोग धारा 6 के अधीन नियुक्त निरीक्षण अधिकारी करेंगे ;

(च) प्राधिकारी जो धारा 4–ख की उपधारा (1) के अधीन देय शास्ति अवधारित करेगा और अवधि जिसके भीतर इसका भुगतान किया जायगा ;

(छ) प्राधिकारी जिसे, अवधि जिसके भीतर, और शुल्क जिसके दिये जाने पर, धारा 4–ख की उपधारा (2) के अधीन अपील की जा सकेगी ;

[4][(छछ) रीति जिससे धारा 4–ख की उपधारा (2) के अधीन कोई अपील दाखिल की जायगी और उसे निस्तारित करने की प्रक्रिया।]

(ज) अधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिये परिवाद कर सकते है ;

(झ) कोई अन्य विषय जिसे नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके।]

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1971 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 10 द्वारा निकाला गया ।
3. उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1999 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया है ।

[1][(3) इस अधिनियम के अधीन बनायें गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शोध, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यों के अधीन रहतें हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनो सदन उक्त अवधि के भीतर करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन का सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।][1]

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1971 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया।